राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	आलोच्य आदेश दिनांक	अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	1766/2024 देवी लाल मीणा	1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) उदयपुर डिवीजन, उदयपुर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) उदयपुर।	09.05.2024	18.04.2024 (अनुलग्नक–5)	श्री एम.एस.राघव, अभिभाषक एवं श्री हेमन्त धारीवाल राजकीय अधिवक्ता
2.	1767/2024 प्रेमचन्द मीणा				
3.	1768/2024 भैरूलाल मीणा				
4.	1769/2024 रोशन लाल मीणा				

आदेश की दिनांक : 21.05.2024

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 1766/2024 देवी लाल मीणा बनाम राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 18.04.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को अध्यापक लेवल प्रथम के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Bharaiv, पंचायत समिति लसाडिया, जिला उदयपुर में निरंतर कार्य करने के निर्देश फरमाये जावें तथा समस्त सेवा लाभ प्रदान किये जाने के निर्देश दिये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 27.09.2018 के द्वारा जिला परिषद, उदयपुर द्वारा अध्यापक के पद

पर हुई थी, जबसे अपीलार्थी निरंतर ईमानदारी अपनी सेवायें दे रहा है। उनका कथन है कि दिनांक 09.03.2024 को एस.एम.सी. की मीटिंग राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भरेव में आयोजित हुई, जिसमें भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित के लिये एसएमसी द्वारा प्रस्ताव पारित हुआ। मूर्ति तैयार किये जाने के लिये सरपंच के निगरानी में लोगों के योगदान से तैयार हुई और दिनांक 14 अप्रेल अम्बेडकर जयंती को एसएमसी द्वारा स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा 14 अप्रेल को मूर्ति स्थापित की गई और उक्त कार्यक्रम स्कूल प्रशासन एवं एसएमसी द्वारा आयोजित किया गया। उसके अगले दिन उप जिला प्रमुख श्री पुष्कर तेली द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, उदयपुर को शिकायत दर्ज की गई और यह कहा गया कि उक्त कार्यवाही पूर्ण रूप से राजनीतिक है तथा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, इसलिये इनके विरूद्ध आवश्यक अनुशानात्मक कार्यवाही की जावे। उक्त सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी गई और अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 18.04.2024 के द्वारा निलंबित कर दिया गया, जो नियम एवं विधि के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 18.04.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को अध्यापक लेवल प्रथम के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Bharaiv, पंचायत समिति लसाडिया, जिला उदयपुर में निरंतर कार्य करने के निर्देश फरमाये जावें तथा समस्त सेवा लाभ प्रदान किये जाने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 16.03.2024 को लोक सभा आम चुनाव, 2024 की घोषणा की गई, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू की गई। आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी धरियावाद, उदयपुर को प्राप्त शिकायत की जांच कर जांच रिपोर्ट भेजने हेतु पत्र लिखा गया। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जांच उपरांत दिनांक 17.04.2024 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें यह पाया गया कि के परिसर में मूर्ति अनावरण कार्यक्रम दिनांक 14.04.2024 को किया गया, जिसकी पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी एवं उक्त

कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपस्थित पाया गया तथा अपीलार्थी कार्मिक द्वारा कार्यक्रम के दौरान अपने विचार रखना भी पाया गया। इस प्रकार प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सरकारी कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के एवं जन प्रतिनिध के साथ किसी भी प्रकार के लोकार्पण/उद्घाटन/अनावरण समारोह में हिस्सा लिया जाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और अपीलार्थी दोषी पाये जाने पर उसे आलोच्य आदेश दिनांक 18.04.2024 के द्वारा निलंबित किया गया। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 27.09.2018 के द्वारा जिला परिषद, उदयपुर द्वारा अध्यापक के पद पर हुई थी, जबसे अपीलार्थी निरंतर ईमानदारी से अपनी सेवायें दे रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भरेव एवं एसएमसी द्वारा दिनांक 14 अप्रेल को मूर्ति स्थापित की गई और उक्त कार्यक्रम स्कूल प्रशासन एवं एसएमसी द्वारा आयोजित किया गया। उप जिला प्रमुख श्री पुष्कर तेली द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, उदयपुर को शिकायत दर्ज एवं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के आधार पर है अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 18.04.2024 के द्वारा निलंबित कर दिया गया। जहां तक अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 18.04.2024 के द्वारा निलंबित किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि दिनांक 16.03.2024 को भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा लोक सभा आम चुनाव, 2024 की घोषणा की गई, जिसके फलस्वरूप पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हुई। अपीलार्थी द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किये जाने पर उसे कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), उदयपुर संभाग, उदयपुर के आदेश दिनांक 18.04.2024 के द्वारा नियमानुसार निलंबित किया गया, जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। इस प्रकार हम आलोच्य निलंबन आदेश में

हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 1766/2024 देवी लाल मीणा बनाम राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य